



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण 1947 (श10)

(सं० पटना 1389) पटना, सोमवार, 18 अगस्त 2025

सं० प्र०/BSPGCL-06/2024(खंड-1)-3798

ऊर्जा विभाग

संकल्प

6 अगस्त 2025

विषय:- विभागीय संकल्प संख्या-1011 दिनांक-16.03.2022 की कंडिका-10(क) को आंशिक संशोधित करते हुए पीरपैती (भागलपुर) में सौर ऊर्जा के अधिष्ठापन हेतु बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं० लि० को लीज पर उपलब्ध करायी गयी भूमि को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित न्यूनतम निविदादाता को निबंधन एवं मुद्रांक शुल्क की अदायगी पर एवं उनके शत-प्रतिशत लागत पर 3X800 मेगावाट (2400 मेगावाट) ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के उद्देश्य से लीज की समान शर्तों पर (01 रुपये प्रतिवर्ष के सांकेतिक दर पर) 33 वर्षों अथवा विद्युत आपूर्ति एकरारनामा अवधि, जो न्यूनतम हो, के लिए उपलब्ध कराने एवं उक्त चयनित निविदादाता से न्यूनतम दर (L1) पर 6.08 रुपये मात्र प्रति यूनिट (फिक्स्ड दर 4.165 रुपये एवं फ्यूल दर 1.910 रुपये) की दर से (बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अनुमोदन के अधीन) विद्युत क्रय की स्वीकृति के संबंध में।

विभागीय संकल्प संख्या-2838 दिनांक-09.11.2021 द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-99 के परंतुक में प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य के पीरपैती (भागलपुर) में ताप विद्युत परियोजना के लिए आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अधिग्रहित 1020.60 एकड़ भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना के अधिष्ठापन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. सलाहकार मे० जर्मी द्वारा समर्पित संभाव्यता रिपोर्ट के अनुसार पीरपैती की जमीन को सौर ऊर्जा परियोजना के अधिष्ठापन हेतु उपयुक्त नहीं पाया। तदनुसार उक्त रिपोर्ट के सत्यापन हेतु बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा गठित समिति ने भी परियोजना स्थल के भ्रमण के पश्चात् उपर्युक्त सलाहकार के रिपोर्ट को सही पाया।

3. उल्लेखनीय है कि विभागीय संकल्प संख्या-01 सह-पठित ज्ञापांक-668 दिनांक-11.02.2025 के द्वारा राज्य के पीरपैती (भागलपुर) में अधिग्रहित भूमि पर प्रस्तावित सौर ऊर्जा के स्थान पर ताप विद्युत परियोजना (3X800 मेगावाट) के अधिष्ठापन की सैद्धांतिक स्वीकृति, इसका कार्यान्वयन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के आधार पर करने तथा बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड को क्रियान्वयन एजेंसी नामित

करने एवं विभागीय संकल्प संख्या-2838 दिनांक-09.11.2021 को इस हद तक संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. विभागीय संकल्प संख्या-1011 दिनांक-16.03.2022 द्वारा राज्य के भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैती में 3X800 मेगावाट (2400 मेगावाट) की ताप विद्युत परियोजना लगाने का जो प्रस्ताव है, वह राज्य के स्वयं के प्रक्षेत्र में सबसे बड़ी क्षमता की विद्युत उत्पादन परियोजना होगी। इससे राज्य के औद्योगीकरण में सहायता मिलेगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। पीरपैती में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अधिग्रहित भूमि का स्वामित्व ऊर्जा विभाग को हस्तांतरित करने के पश्चात ऊर्जा विभाग द्वारा उक्त भूमि को 01 (एक) रुपये प्रतिवर्ष के सांकेतिक दर पर 33 वर्षों के लीज पर बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उक्त विभागीय संकल्प की कंडिका 10 (क) के तहत पीरपैती, भागलपुर में बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा 80:20 वित्तीय पोषण (Funding Mechanism) के अंतर्गत सौर ऊर्जा के अधिष्ठापन की सैद्धांतिक स्वीकृति का भी निर्णय लिया गया।

5. बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा पीरपैती में ताप विद्युत परियोजना अधिष्ठापन के प्रस्ताव के समीक्षोपरांत पाया गया कि यदि ऊर्जा विभाग पीरपैती में उपलब्ध भूमि को एक (01) रुपये प्रतिवर्ष के सांकेतिक दर पर 33 वर्षों के लिए लीज पर बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को तथा बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा उसी समान शर्त पर निजी निवेशक को उपलब्ध कराया जाता है तो उक्त ताप विद्युत परियोजना के विकास में भूमि की लागत की छूट का लाभ राज्य के उपभोक्ताओं को उत्पादित ऊर्जा की सस्ते टैरिफ के रूप में प्रदान किया जा सकेगा। प्रस्तावित निबंधन पर होने वाला व्यय यथा निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क का वहन चयनित एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

6. उल्लेखनीय है कि पीरपैती में ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत निविदा का प्रकाशन दिनांक-27.02.2025 को किया गया। निविदा में तकनीकी रूप से चार सफल निविदादाता— (i) मे0 अडानी पावर लिमिटेड, (ii) टोरेन्ट पावर लिमिटेड, (iii) जे0एस0डब्लू इनर्जी लिमिटेड एवं (iv) ललितपुर पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा दिनांक-16.07.2025 को E-Reverse auction प्रणाली के तहत निविदा निष्पादन किया गया। इसके फलस्वरूप मे0 अडानी पावर लिमिटेड L1 के रूप में सफल निविदादाता हुए। (L1 दर रू0 6.08 प्रति यूनिट है, जिसमें फिक्स्ड दर रू0 4.165 प्रति यूनिट एवं फ्लूइड दर रू0 1.910 प्रति यूनिट है)।

7. अतएव विभागीय संकल्प संख्या-1011 दिनांक-16.03.2022 की कंडिका- 10(क) को आंशिक संशोधित करते हुए पीरपैती (भागलपुर) में सौर ऊर्जा के अधिष्ठापन हेतु बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं0 लि0 को लीज पर उपलब्ध करायी गयी भूमि को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित न्यूनतम निविदादाता को निबंधन एवं मुद्रांक शुल्क की अदायगी पर एवं उनके शत-प्रतिशत लागत पर 3X800 मेगावाट (2400 मेगावाट) ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के उद्देश्य से लीज की समान शर्तों पर (01 रुपये प्रतिवर्ष के सांकेतिक दर पर) 33 वर्षों अथवा विद्युत आपूर्ति एकरारनामा अवधि, जो न्यूनतम हो, के लिए उपलब्ध कराने एवं उक्त चयनित निविदादाता से न्यूनतम दर (L1) पर 6.08 रुपये मात्र प्रति यूनिट (फिक्स्ड दर 4.165 रुपये एवं फ्लूइड दर 1.910 रुपये) की दर से (बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अनुमोदन के अधीन) विद्युत क्रय की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

8. उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1389-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>